सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक- 15.11.2023

सर्विलांस टीम ने खोये हुए 8 लाख 60 हजार की कीमत के 60 मोबाइलों को बरामद कर उनके स्वामियों को किया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा भैया दूज पर्व पर जनपद वासियों को दी गई खुशियों की सौगात

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने खोये हुए मोबाइलों की शीघ्र बरामदगी कर उनके स्वामियों को सुपुर्द करने के निर्देश सर्विलांस/एसओजी टीम को दिए थे। जिसके परिपेक्ष्य में सर्विलांस टीम ने खोये हुए प्रत्येक मोबाइल की लगातार ट्रैकिंग की गयी तथा ट्रेस होने पर एसओजी टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से मोबाइलों को बरामद किया गया। सर्विलांस व एसओजी टीम द्वारा खोये हुए मोबाइलो की बरामदगी के लिए किये गए प्रयासों के फलस्वरूप **कुल- 60 खोये हुए विभिन्न कम्पनियों जैसे- वीवों, रेडमी, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, इनफिन्क्स, आदि मोबाइल बरामद** करने पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने आज दिनाकं 15.11.2023 को पुलिस कार्यालय में उनके स्वामियो को बुलाकर सुपुर्द किया। बरामद किए गए समस्त मोबाइलों की अनुमानित मूल्य लगभग 08 लाख 60 हजार रुपये है। अपना खोया/गुम/चोरी/छिने हुए मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खिल उठे व अमरोहा पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने खोये हुए मोबाइलों को बरामद करने वाली सर्विलांस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।

बरामद कर्ता टीम-

01. सर्विलास प्रभारी शादाब आलम, सर्विलास सेल जनपद गोण्डा।
02. हे0का0 हृदयनराणय दीक्षित, सर्विलास सेल जनपद गोण्डा।
04. हे0का0 सुमित शर्मा, सर्विलास सेल जनपद गोण्डा।
05. हे0का0 रवि कुमार, सर्विलास सेल जनपद गोण्डा।
06. का0 अमितेश, सर्विलास सेल जनपद गोण्डा।
07. का0 अंशुमान पाण्डेय, सर्विलास सेल जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत विसर्जन स्थल व रूट पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त पुलिस बल को भ्रमणशील रहने के दिये निर्देश-

मूर्ति विसर्जन सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जित कराने हेतु पुलिस बल का चप्पे चप्पे पर है पैनी नजर –

संदिग्ध वाहनों/ व्यक्तियों की चेकिंग कर युवाओं को यातायात नियमों का पालन करने का दिया संदेश तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध की गई कार्यवाही -

आज दिनांक 15.11.2023 को पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री अंकित मित्तल द्वारा लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत विसर्जन स्थल व रूट पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त पुलिस बल को भ्रमणशील विसर्जित कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को सकुशल सम्पन्न कराया जा रहा है तथा क्षेत्र में विसर्जित होने वाले स्थानों व जूलूस के आगे पीछे पुलिस को दंगा नियन्त्रण उपकरण के साथ ड्यूटी लगायी गयी है, तथा जगह जगह वैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/ व्यक्तियों की चेकिंग कर यातायात नियमों का पालन करने हेतु आमजन मानस को बताया गया तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 15.11.2023

साइबर फ्रॉड के शिकार 27 पीड़ितों के शत-प्रतिशत रु 11,71,101/- वापस व 114 पीडितों के 12,17,869/- होल्ड करते हुए कुल 141 पीड़ितों के शत-प्रतिशत रु 2388970/- (तेईस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ सत्तर रु) हुआ रिकवर, पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक गोण्डा को दिया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल एवं थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क द्वारा विगत 03 माह में 141 पीड़ितों से फ्रॉड की गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि रु 2388970/- (तेईस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ सत्तर रु) वापस/होल्ड पीड़ितों के खातों में वापस करवाया गया।

आवेदक केशवराम यादव द्वारा धोखे से गलत खाते मे 40,000/-रू0 को ट्रांसफर हो जाने, आवेदक बलबीर से टूरिज्म पैंकिग के नाम पर बुकिंग करने पर 20,000/- रूपयों की धोखाधड़ी हो जाने, आवेदक रीतेश द्वारा गलत खाते में 70,000/- रू0 ट्रांसफर कर देने, आवेदक दिनेश सिंह द्वारा बीज खरीदने हेतु गलत खाते मे रूपये 50000.00 ट्रांसफर कर देने, आवेदक राधेश्याम द्वारा अज्ञात लिंक पर क्लिक कर दिया गया था जिससे उनके खाते से 50,000 कट जाने के सम्बन्ध में, आवेदक रोहित तिवारी से साइबर फ्राड गिरोह द्वारा पेटीएम कस्टमर केयर अधिकारी बनकर 11499.00 रूपयो की ठगी हो जाने के सम्बन्ध में, आवेदक सूरज शर्मा द्वारा पेटीएम के माध्यम से 19800.00 अनाधिकृत निकासी हो जाने, आवेदक अम्ब्रीश पाण्डेय द्वारा गलत खाते मे 10000.00 रूपयों ट्रांसफर कर देने, आवेदिका पूजा जायसवाल से आईएमपीएस के माध्यम से उनके खाते से 20000.00 निकासी हो जाने, आवेदक बबलू तिवारी से पेटीएम पर रिफण्ड के नाम पर 3086.00 रूपयों की ठगी हो जाने, आवेदक आयुष वर्धन से पेटीएम पर रिफण्ड के नाम पर 2,000 रूपयों की ठगी हो जाने, आवेदक रामगोपाल मौर्या से गूगल पर हेल्प लाइन नम्बर गूगल सर्च करने साइबर फ्राड गिरोह द्वारा उनके खाते से 79030.00 रूपयों निकाल लेने, आवेदक शिवम सिंह से बैंक वालेट से रिमोट एक्सेस ऐप इन्स्टाल करवाकर 8847.00 रूपयों की ठगी हो जाने, आवेदक प्रभुदयाल से यूपीआई से रिफण्ड के नाम पर 3900 रूपयों की ठगी हो जाने, आवेदक वीरेंदर प्रताप सिंह से सरकारी योजना के लाभ के नाम पर 3500 रूपयों की ठगी हो जाने, आवेदक प्रशांत तिवारी से पैसो का प्रलोभन देकर 12,500 रूपयों की ठगी हो जाने, आवेदक गौरव सिंह द्वारा गलत खाते में 37727.00 रूपया ट्रासंफर कर देने, अभियुक्त अनिल पाण्डेय ने ओटीपी शेयर कर दिया था जिससे 9000.00 रूपए कट जाने, आवेदक पवन तिवारी से डेबिट कार्ड के माध्यम से 36000/- रुपए फ्रॉड हो जाने, आवेदक दिग्गज पाण्डेय ने ओटीपी शेयर कर दी थी जिससे उनके क्रेडिट कार्ड से 99999.00 रूपये कट जाने, आवेदक विशेष कुमार सिंह ने गलती से 21,000 रूपए गलत खाते मे ट्रांसफर कर देने, आवेदक प्रकाश चन्द्र द्वारा ओटीपी बताने पर उनके क्रेडिट कार्ड से रू0 13313.00 की निकासी हो जाने, आवेदक मृत्यूजय कुमार ने फ्राड कॉल पर ओटीपी शेयर करने से 28,999 रूपयों की निकासी हो जाने, आवेदक आसाराम निवासी धानेपुर के 9000.00 रु गलत खाते में ट्रांसफर हो जाने, लाल मणि निवासी नवाबगंज के 3000 फ्रॉड कॉल कर ट्रांसफर हो जाने और अंकित मिश्र निवासी को० देहात द्वारा फ्रॉड खाते में 10000/-रु ट्रांसफर होने के सम्बन्ध में साइबर सेल/हेल्पडेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर साइबर सेल एवं थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क

द्वारा साइबर सेल गोण्डा के सहयोग से सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर कार्यवाही करते हुए धनराशि रु 2388970/- (तेईस लाख अट्ठासी हजार नौ सौ सत्तर रु) वापस/होल्ड पीड़ितों के खातों में वापस करवाया गया। अपने रूपये वापस पाकर पीड़ितों द्वारा प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सराहनीय कार्य करने वाली टीम में साइबर सेल से प्रभारी उप नि० शादाब आलम, साइबर क्राइम ऑफिसर हरि ओम टण्डन, मनीष कुशवाहा, राजेन्द्र कुमार एवं थानो की हेल्प डेस्क पर नियुक्त कर्मचारी शामिल रहे।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने बताया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। एटीएम बूथ के अन्दर पैसा निकालते समय पिन हमेशा अपनी हथेली से छिपाकर डालें। जब भी पैसा निकालने जाये किसी अन्जान व्यक्ति को बूथ के अन्दर न प्रवेश करने दे । एटीएम वहाँ प्रयोग करे जहाँ गार्ड मौजूद हो । कार्ड स्वैप मशीन का प्रयोग स्वयं करें । किसी अन्य व्यक्ति को स्वैप करने के लिए न दे। शापिंग मॉल, होटल, पेट्रोल पम्प पर इस्तेमाल करते समय छिपे कैमरे का विशेष ध्यान रखें। स्वैप मशीन के अलावा किसी अन्य डिवाइस पर कार्ड स्वैप न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अंगूठा किसी भी फार्म पर लगाकर मत दें । ग्राहक सेवा केन्द्र पर आधार पेमेन्ट के माध्यम से पैसा निकालते समय अपने अंगूठे का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें । आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। मोबाईल फोन पर अज्ञात यूपीआई लिंक कदापि ओपन न करें। किसी के कहने पर कोई भी लिंक या मैसेज किसी अन्य मोबाईल नम्बर पर फारवर्ड न करे। अपना यूपीआई पिन किसी अनजान यूपीआई लिंक पर न डाले। यूपीआई(गूगल पे. फोन-पे या पेटीएम) पिन का प्रयोग करने से एवं QR कोड स्कैन करने से पैसे आपके ही खाते से कटते हैं। किसी से पैसा लेने के लिए कभी पिन की आवश्यकता नहीं होती। किसी फोन कॉल पर किसी के कहने से अपना पिन डालकर बैलेंस न चेक करें। कस्टमर केयर नं० गूगल से सर्च न करें। बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, KBC आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपने बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें । अपने फोन पर आये ओ०टी०पी० को किसी से साझा न करें । किसी प्रकार का एप्स जैसे टीमविवर, ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। सस्ते एवं आसान लोन के लालच में प्ले स्टोर से कोई भी लोन एप डाउन न करें, क्योकि ये एप आसानी से लोन देकर आपके फ़ोन का निजी डेटा(Contact, gallery) ले कर आपको अत्यधिक ब्याज चुकाने के लिए आपके रिश्तदारों एवं मित्रों को परेशान करते है। लोन हमेशा अधिकृत बैंक से ही ले। अनाधिकृत लोन एप से बचें। सेना के जवान बनकर सामान बेचने वाले व्यक्ति का वेरीफिकेसन जरुर करें, डिलीवरी मिलने से पहले कोई भी पेमेंट न करे। सस्ते के लालच में किसी खाते में एडवांस पेमेंट न करें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं को कम से कम साझा करें। अपना पासवर्ड किसी भी व्यक्ति से शेयर कदापि न करें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आन रखें। अपने मोबाइल नंबर, मेल एवं मित्रों की सूची छिपा कर रखें। प्रोफाइल लॉक रखें। किसी अन्य मोबाईल या डेस्कटाप पर अपनी सोशल मीडिया आईडी ओपन करने से बचें, सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक भड़काउ झूठी सूचनाओं को पोस्ट, लाईक, कमेन्ट, शेयर करने से बचे। अनजान लोगो का सोशल मीडिया पर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचे। अनजान महिला से चैट न करें न ही अपना whatsapp नंबर शेयर करें। वित्तीय साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 या 112 पर दे एवं नजदीकी पुलिस स्टेशन पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क को तत्काल रिपोर्ट करें, अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ पर अथवा UPCOP एप के माध्यम से भी की जा सकती है।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.11.2023

जानलेवा हमला करने के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षो को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानलेवा हमला करने के 03 वांछित अभियुक्तगण 01. दद्दन उर्फ संतोष 02. पाटनदीन 03. विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण ने वादी के भाई को पेड़ की डाल काटने के विवाद को लेकर जान मारने की नियत से भाला से मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दद्दन उर्फ संतोष पुत्र पाटनदीन निवासी ईश्वरीपुरवा देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. पाटनदीन पुत्र हौसिला पासी निवासी ईश्वरीपुरवा देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
03.विजय पुत्र पाटनदीन निवासी ईश्वरीपुरवा देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 424/2023 धारा 307/323/504/506/34 भा0द0वि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 जय हिन्द मय टीम थाना तरबगंज, जनपद- गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 15.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कौडिया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बल्लू पुत्र स्व0 नन्हकनू नि0 बनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-496/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.11.2023

नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तारू-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त- 01. फुरकान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त अभियुक्त थाना कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नवाबलिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. फुरकान अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम बरबटपुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-933/23 धारा 363, 366, भादवि व 17/18 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
उ0नि0 चन्द्रशेखर मय टीम थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा।